

रजिस्टर्ड नं० ए०-डी०-4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०-4

(लाइसेन्सिंग पोस्ट विदाउट प्रीपेन्ड)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 अक्टूबर, 1988

आधिवन 22, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1946/सत्रह-पि-1-1 (क) 19-1988

लखनऊ, 14 अक्टूबर, 1988

अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनजालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 14 सितम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समजा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 7
सन् 1988 की
धारा 3 का
संशोधन

निरसन और
अपवाद

2--उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड वड़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“(च) राज्यपाल के सचिवालय में।”

3--(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1946 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 19-1988

Dated Lucknow, October 14, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinastha Sewa Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 14, 1988.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD (AMENDMENT) ACT, 1988

(U. P. ACT NO. 14 OF 1988)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board Act, 1988

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 14, 1988.

Amendment of section 3 of U.P. Act No. 7 of 1988

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board Act, 1988, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

“(f) in the Governor's Secretariat”.

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act, were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस० यू० पी० --- ए० पी० 118 सा० (विधा०) --- (1762) --- 1988-850 (मेक०)

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या
सन् 1988

U. P.
Ordinance
No. 14
1988